

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

रणजीत कौर बनाम मन्वर सिंह आदि

46 / 2017 अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 RPA

| | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| क्र | आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज | नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|

7/23/24 अधिकारतागण उपरिष्यत। साक्ष्यवादी पेश नहीं। पूर्व में कई अवसर दिए गए इसके बावजूद साक्ष्यवादी पेश नहीं की गई। लिहाजा साक्ष्यवादी बंद की जाती है। अतः साक्ष्यवादी के अभाव में वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 RPA अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणीत होकर नम्बर से काम होकर दाखिल दफ्तर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर